"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 जून 2014— ज्येष्ठ 20, शक 1936

जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-02/2004/चौबीस. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क तृतीय श्रेणी (सचिवीय और अनुसचिवीय) कर्मचारी भर्ती नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में ,-

1. अनुसूची-तीन के कॉलम 3 के सरल क्रमांक 8 के सामने कॉलम 6 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था, शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) तथा मुद्रलेखन परिषद् से :-
हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					हिन्दी और अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

क्रमांक एफ 13-02/2004/चौबीस. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, सचिव.

Naya Raipur, the 10th June 2014

NOTIFICATION

No. F 13-02/2004/24. — In exercise of the powers, conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Public Relations Class III (Ministerial and Non- ministerial) Employees Recruitment Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. For the entries relating to column 6 against serial number 8 of column 3 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :-

Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

2. For the entries relating to column 6 against serial number 9 of column 3 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

2. अनुसूची-तीन के कॉलम 3 के सरल क्रमांक 9 के सामने कॉलम 6 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

3. अनुसूची-तीन के कॉलम 3 के सरल क्रमांक 10 के सामने कॉलम 6 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र.

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

4. अनुसूची-तीन के कॉलम 3 के सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		"11. डाटा एण्ट्री आपरेटर	18	35	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. या कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा. (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

3. For the entries relating to column 6 against serial number 10 of column 3 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

4. After serial number 10 of column 3 and entries relating thereto of Schedule-III, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		"11. Data Entry Operator	18	35	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming, from any recognized institute and speed of Data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.